

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 837/2024

जितेन्द्र सिंह गुर्जर

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं एवं पंचायती राज (I.C.D.S.) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024

आदेश की दिनांक : 14.03.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर परि० दौसा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.07.2022 (अनुलग्नक-2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण परि. महुवा (दौसा) से दौसा किया गया जहां अपीलार्थी ने दिनांक 06.07.2022 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) द्वारा बहुत ही कम अवधि में अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से निदेशालय जयपुर किया गया। अपीलार्थी को एक ही स्थान पर दो साल की सेवा पूरी किए बिना अल्पावधि में अपीलार्थी की सहमति के बिना राजनीतिक प्रेरणा से स्थानान्तरित कर दिया गया और अपीलार्थी के स्थान पर किसी को भी पदस्थापित नहीं किया गया। अपीलार्थी की पत्नी हृदय रोग से पीड़ित है, जिसका नियमित उपचार चल रहा है (अनुलग्नक-3)। अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला दौसा से जयपुर बिना कोई कारण बताये तथा अपीलार्थी की पारिवारिक समस्याओं पर विचार किए बिना कर दिया गया। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 राजस्थान पंचायतीराज (स्थानान्तरण गतिविधिया) नियम, 2011 के नियम 8(iii) का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) अपीलार्थी के संबंध में अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पद पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) के विरुद्ध अपील दायर की, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण परि० दौसा से निदेशालय जयपुर किया है। अपीलार्थी का आक्षेप है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण पंचायती राज विभाग की सहमति के बिना किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम-8(iii) का उल्लंघन है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं एवं पंचायती राज (आईसीडीएस) विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि यह आदेश क्रमांक प4 (2) परावि/सशक्त/2010/28 दिनांक 02.10.2010 के अनुक्रम में विभाग जारी आदेश दिनांक 02.10.2010 तथा तत्पश्चात् जारी आदेश क्रमांक द्वारा एफ 1 (1)(20)/आईसीडीएस/09/97068 दिनांक 08.11.2011 के तहत निर्धारित सक्षम स्तर से अनुमोदित है। इससे पूर्णतः यह स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश सक्षम स्तर से समुचित अनुमोदन के पश्चात् जारी किया गया है। अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर कोई ऐसा दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि सक्षम स्तर से वांछित स्वीकृति नहीं की गई है। अतः हम यह पाते हैं कि आलोच्य आदेश सक्षम स्तर से बिना किसी दुर्भावना के प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत जारी किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य